मु० नं० 105/11 तारीख पेशी 26.12.11

उनवान - श्री मंदिर धूम पाठशाला जरिये सेवायत लक्ष्मणदास पुत्र रामदास
दावा - बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जोशी एडवो० ने दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया अवलोकन किया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। दावा दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली दिनांक 28-12-11 को पेश हो।

आनन्द त्रिवेदी
सिविल न्यायाधीश, (कनिष्ठ खण्ड) अटरू (राज०)

28/12/11

वादी मय वकील उप०। प्रतिवादी नं० 1 ता 4 की ओर से श्री रामअवतार गुप्ता एड० ने जरिये पेश कर जवाबदावा पेश करने समय मांगा। प्रतिवादी नं० 6,7 की ओर से श्री रामअवतार गुप्ता एडवो० ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 5, 8 के नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं। बइन्तजार तामील व पेश करने जवाबदावा दि० 11-1-12 को पेश हो।

11-1-12

वादी मय वकील उप०। प्रतिवादी नं० 1 ता 4 की ओर से श्री रामअवतार गुप्ता एडवो० ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 5 बावजूद सूचना उप० नहीं। नं० 8 का जवाब बाद तामील प्राप्त नहीं। 10 रोज अन्यथा पर है। जरिये अग्रिम आदेश दि० 20-1-12 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

20.4.17

[illegible]

21.4.17

पक्षकारान [illegible] / [illegible] न्याय आपके द्वार कैम्प पाडला में दिनांक 12.5.17 को पेश हो।

12.5.17

पत्रावली न्याय आपके द्वार पाडला में पेश हुई पक्षकारान उप० / दा० पर बहस सुनी गई / बाद में आदेश पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प भवकपुरा में दि. 16.5.17 को पेश हो।

16.5.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / न्याय आपके द्वार कैम्प भवकपुरा में बाद आदेश पेश हुई / पक्षकारान उपस्थित / यह पत्रावली दर. 07 R.11 आज्ञा दीवानी के निर्णय हेतु नियत है। प्रतिवादीगण/अर्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 07 R.11 आज्ञा दीवानी इस प्रकार पेश किया है कि वादी की तरफ से उसके [illegible] मोतीलाल ने पेश किया है जिसको लोकस स्टेण्ड प्राप्त नहीं है। तथा वादी [illegible] दास मंदिर श्री सीताराम जी विराजमान पाडला बखालसा का पुजारी नहीं है बल्कि उन्हें देवस्थान विभाग से पुजारी का प्रमाण-पत्र जारी किया है। वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार रेवेन्यू कोर्ट को नहीं है, मंदिर का पुजारी कौन है कौन सेवा

दिनांक	फर्द अहकाम
	पूजा करता है। इस संबंध में देखभाल ... ही तय किया जाता है। वादी ने यह वादपत्र ... ही पेश किया है इसलिए यह द० खारिज ... जाकर वादपत्र खारिज किया जावे। इसी ... जवाब वादी / अप्रार्थी ने प्रस्तुत किया कि ... मूर्ति की तरफ से दावा लेकर आया है ... के हित में कोई भी वाद ला सकता है ... पुजारी का नहीं है बल्कि मूर्ति की आराजी ... जो प्रतिवादी ने अपने नाम करा लिया है इसलिए ... उनका यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
	प्रतिवादी / प्रार्थी के वकील ने द० ... 11 जाब्ता दीवानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया ... कथन किया कि वादी मंदिर का पुजारी नियुक्त ... था नाहि देखभाल में कोई प्रमाण पत्र जारी किया ... है। नाहि रेवन्यू कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार ... इसलिए यह द० 07 R.11 जाब्ता दीवानी स्वीकार की ... जावे तथा यह भी कथन किया कि वादी कौन है ... की ओर उसके कायम मुकाम यह दावा नहीं ला ... सकते हैं इसलिए यह दावा खारिज फरमाया जावे।
	वादी / अप्रार्थी के वकील ने जवाब द० में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि यह दावा मूर्ति की आराजीयात से संबंधित है कोई भी व्यक्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। अतः यह द० खारिज फरमाई जावे।
	उप जिला कलेक्टर (नाम अपठनीय) (लगातार)

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी वकील की इस दलील से सहमत हूँ कि मूर्ति मंदिर की ओर से प्रस्तुत करने वाले वादी की मृत्यु हो जाने पर उसके कायम मुकाम इस मुकदमे को आगे जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं हो सकते हैं। यदि ये व्यक्ति मूर्ति मंदिर की ओर से मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो नया दावा प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए इस दावा में आगे कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं मानते हुए खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता से काम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.5.17 को लिखाया जाकर कैम्प मनकपुरा में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner